कार्यालय नगर पालिका परिषद अकबरपुर अम्बेडकरनगर।

पत्रांकः– 735 /न0पा0परि0अ0/ई0नि0सू0/2017–18 दिनांक 15-.03.2018

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद अकबरपुर अम्बेडकरनगर के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों (निर्माण कार्यो के लिए) एवँ पंजीकृत फर्मो को सूचित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन/पालिका निधि के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्नलिखित कार्यो हेतु दिनांक–20.03.2018 से दिनांक–28.03.2018 को दोपहर 12:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आनलाइन निविदा **www.e-tender.up.nic.in** बेवसाइट पर दिनांक–20.03.2018 को दोपहर 12:00 बजे से दिनांक–28.03.2018 को दोपहर 12:00 बजे तक डाउनलोड की जा सकती है। जो उसी दिन को समय 04:00 बजे खोली जायेगी। निर्धारित तिथि को अवकाश होने की दशा में उक्त निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।

प्रस्तावित कार्य का विवरण (एस0बी0एम0 मद के अन्तर्गत)

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	सामुदायिक शौचालयों की संख्या	अनुमानित लागत (प्रति शौचालय)	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	नगर पालिका परिषद अकबरपुर क्षेत्र में ''स्वच्छ भारत मिशन'' योजनान्तर्गत 10 प्रति सीटेड सामुदायिक शौचलय का निर्माण कार्य।	09	1090337.00	197100.00	2000.00	03 माह

निविदा की शर्ते:–

1. निविदा मूल्य की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी ई–निविदा के साथ संलग्न किया जाना एवं निविदा खोले जाने के पूर्व मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
2. प्रत्येक ई–निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद अकबरपुर अम्बेडकरनगर के पक्ष में बन्धक कर, स्कैन की कापी ई–निविदा के साथ संग्लन किया जाना एवं निविदा खोले जाने के पूर्व मूल प्रति परस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त तीन दिन के अन्दर नियुमानसार अपने व्यय पर कार्य का निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करनी होगी।
4. न्यूनतम् निविदा स्वीकार होने के उपरान्त सम्बन्धित ठेकेदार को स्वीकृत राशि की नियमानुसार कुल 08 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/के0बी0पी0 के रूप में अधिशाषी अधिकारी के पदनाम से बन्धक करनी होगी।

5. परियोजना लागत का 5% धनराशि परफार्मेन्स गारन्टी के रूप में बिल से कटौती की जायेगी। जो कार्य संतोषजनक होने के स्थिति में पांच वर्ष के बाद वापस की जायेगी।
6. लोक निर्माण विभाग के शासनादेश के क्रम में निर्माण कार्यो पर अनुमानित लागत से 10% से कम निविदा दर न्यून होने पर 0.5% एवं 10% से अधिक निविदा दर न्यून होने पर 1% परफार्मेन्स गारन्टी के रूप में एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0/डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में ठेकेदार को जमा करना होगा। जो अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद अकबरपुर अम्बेडकरनगर के नाम बन्धक होना आवश्यक होगा।
7. सशर्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
8. समस्त/किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
9. आयकर, रायल्टी, जी0एस0टी0 व लेबर सेस आदि कटौती ठेकेदार के भुगतान बिल से की जायेगी।
10. कार्यादेश निर्गत किये जाने के पूर्व, कार्य किये जाते समय एवं कार्य समाप्ति से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. समस्त निर्माण कार्य एवं आपूर्ति की जाने वाली सामग्री निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुरूप होना चाहिए।
12. इच्छुक ठेकेदार से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइट को देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
अकबरपुर अम्बेडकरनगर।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
अकबरपुर अम्बेडकरनगर।

प्रतिलिपिः—

1. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र " आज / राष्ट्रीय स्वरूप " इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आलेख आगामी अंक में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
2. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. कम्प्यूटर आपरेटर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को बेबसाइट पर अपलोड करें।
4. सम्बन्धित पत्रावली पर रखे जाने हेत।

अ0अ0 3/02/18

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका परिषद
अकबरपुर–अम्बेडकरनगर।